न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
सक्षम– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1930–दो/06 विरूद्ध आदेश दिनांक 19.6.2006 पारित द्वारा आयुक्त सागर संभाग सागर प्रकरण कमांक अपील 138/अ–19/(4) 2004–2005.

1– श्री सिंह तनय बखत सिंह उर्फ पर्वत सिंह ठाकुर

2– पृथ्वी सिंह तनय बखतसिंह उर्फ पर्वत सिंह ठाकुर

3– रामसिंह तनय बखत सिंह उर्फ पर्वत सिंह ठाकुर

4– अमोल सिंह तनय बखत सिंह उर्फ पर्वत सिंह ठाकुर

(ला औलाद फौत)

5– श्रीमती सुहाग रानी पत्नि बखत सिंह उर्फ पर्वत सिंह ठाकुर

6– जगदीश तनय बखत सिंह उर्फ पर्वत सिंह ठाकुर

सभी निवासीगण ग्राम लखनपुर तहसील व जिला सागर म0प्र0

––– आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन –– अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री नितेन्द्र सिंघई)
(अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं)

आ दे श
(आज दिनांक 6.11.2015 को पारित)

यह अपील आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 139/अ–19/(4) 2004–2005 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदकगण ने दिनांक 30.12.2000 को एक आवेदन पत्र अपर कलेक्टर सागर को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कृषि भूमि पटवारी हल्का न0 102 खसरा नम्बर 61, 64 एवं 495 जिसका रकवा 0.12, 0.14, 0.78 हैक्टेयर कुल 1.04 है, जो आवेदकगण के स्वामित्व व अधिकार की है, के बदले में आवेदकगण को म0प्र0 शासन छोटा घास के भूमि खसरा न0 225 जिसका रकवा 0.63 हैक्टेयर है दे दी जाये क्योंकि आवेदकगण को अपनी भूमि में जंगली जानवर व पशुओं से नुकसान होता है । प्रकरण में अपर कलेक्टर सागर ने तहसीलदार तहसील सागर से जांच प्रतिवेदन मांगा । तहसीलदार सागर द्वारा दिनांक 31.12.03 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बताया गया कि खसरा न0 225, जो शासन की भूमि है, में आवेदकगण खेती करते चले आ रहे है और उनका कब्जा है । उस भूमि में झाड़ पेड़ नहीं है और उनकी जो निजी भूमि है उसमें भी झाड़ पेड़ नहीं है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अपर कलेक्टर सागर ने प्रकरण पंजीबद्ध किया एवं दिनांक 31.5.2004 को यह निष्कर्ष निकाला कि आवेदकगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जंगली जानवर फसल को नुकसान पंहुचाते है । इसी आधार पर अपर कलेक्टर द्वारा आवेदन निरस्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध आवेदकगण द्वारा आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 139/अ–19/(4) 2004–2005 पर दर्ज होकर दिनांक 19.6.2006 को अपर कलेक्टर सागर का आदेश यथावत रखते हुये अपील निरस्त की गई, जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है ।

3– आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि पटवारी प्रतिवेदन, पंचायत की राय एवं संबंधित तहसीलदर के प्रतिवेदन का परीक्षण किये बगैर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है । उन्होंने अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर आवेदकगण को भूमि का तबादला किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4– मेरे द्वारा समस्त अभिलेखों का बारीकी से अवलोकन किया गया एवं निगराकार के विद्वान अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया गया । इन सभी पर पूर्ण विचार उपरान्त मैं यह प्रकरण अपर कलेक्टर सागर को इन निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित करता हूँ कि

1– वे ये देखें कि निगराकारों की निजी भूमि खसरा नंबर 61, 64 एवं 495 ग्राम मैनवारा की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या निजी भूमि को वर्तमान में कृषि योग्य बना लिया गया है? यदि हां तो कब से ?

2– वे विषयांकित शासकीय भूमि खसरा नंबर 225 के संबंध में निम्न बिन्दु देखें :–

क– क्या उसकी सार्वजनिक प्रयोजन के लिये वर्तमान में ऐसी आवश्कता है कि उसे निगराकारों को अदला बदली करके नहीं दिया जा सके ?

ख– क्या उस पर निगराकरों का अभी भी अतिक्रमण है? यदि हां, तो ऐसा अतिक्रमण कब–कब एवं कितनी–कितनी अवधि के लिये रहा और क्या उससे शासकीय/सार्वजनिक हित प्रभावित हुये? यदि हां, तो कैसे एवं कितने शासकीय /सार्वजनिक हित प्रभावित हुये?

उपरोक्त के प्रकाश में अपर कलेक्टर मौके की स्थिति पुनः ज्ञात करें, पूर्ण परीक्षण करें एवं पक्षकारों को समुचित अवसर देते हुये निम्नानुसार कार्यवाही कर बोलता हुआ आदेश पारित करें :–

1– यदि निजी भूमि को वर्तमान निगराकारों द्वारा कृषि योग्य बना लिया गया है, तो अदला बदली का आवेदन निरस्त करें एवं शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटवायें । साथ ही जिस दिनांक से एवं जिस जिस अवधि के लिये शसकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया हो उसे विचार में लेते हुये ऐसे अतिक्रमण के विरूद्ध उचित दण्ड आरोपित करें ।

2– यदि निजी भूमि को अभी तक कृषि योग्य नहीं बनाया गया हो तो विधि के प्रकाश में आवेदक को सुनवाई का मौका देते हुये आवेदक के अदला बदली के आवेदन का योग्य निराकरण करें ।

5 उारोक्तानुसार जांच परीक्षण एवं नये सिरे से आदेश पारित करने की समस्त कार्यवाही इस आदेश की संसूचना के 6 माह की अवधि में पूर्ण होना अपर कलेक्टर सुनिश्चित करायें । इसके साथ ही अधीनस्थ न्यायालयों के विषयांकित आदेश निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण अपर कलेक्टर सागर को प्रत्यावर्तित किया जाता है। पक्षकार सूचित हों । प्रकरण समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिला दर्ज हो।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश

ग्वालियर